संख्या-91/2026/I/1497217/2026/001-71-2099-17-2022

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ:-16-10-2026

विषय:-संस्थान परिसर में 500 बेडेड एडवान्स पीडियाट्रिक सेन्टर (फेज-1) के निर्माण कार्य हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-118/2022/439/2026, दिनांक 16.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्थान परिसर में 500 बेडेड एडवान्स पीडियाट्रिक सेन्टर (फेज-1) के निर्माण कार्य हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 3750.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 04 जनवरी, 2024 के माध्यम से धनराशि रू0 19910.52 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 3584.76 लाख, शासनादेश दिनांक 24.03.2025 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 3102.52 लाख तथा शासनादेश दिनांक 09-01-2026 द्वारा तृतीय किश्त की धनराशि रू0 3500.00 लाख अवमुक्त की गयी है, इस प्रकार अब तक धनराशि रू0 10187.27 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्थान परिसर में ई0पी0सी0 मोड़ पर 500 बेडेड एडवान्स पीडियाट्रिक सेन्टर (फेज-1) के निर्माण कार्य हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 3750.00 लाख (रुपये सैतीस करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. ई0पी0सी मोड़ के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनांक 07.10.2023 की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत बॉट आउट आइटम्स की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

करें। निदेशक संस्थान द्वारा इस हेतु निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक संस्थान का होगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।
5. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों का यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है जिनमें कोई परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाय।
8. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की समस्त जिम्मेदारी निदेशक संस्थान/कार्यदायी संस्थान की होगी।
9. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28/03/2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/ निदेशक, संस्थान का होगा।
10. प्रश्ननगत परियोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-2/2024/।/463126/2024/ 002-71-2099-17-2022 दिनांक 04 जनवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 37,50,00,000 (रुपये सैंतीस करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-91/2026/I/1497217/2026/001-71-2099-17-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/(आय-व्ययक)-2
10. मुख्या अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।